न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

8

नामान्तरण अपील वाद संख्या–10/2021–22
(जनार्दन सिंह –बनाम– ज्ञान प्रकाश सिंह एवं अन्य)

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के
15/09/2022	प्रस्तुत अपील वाद अंचल अधिकारी, चास के दाखिल–खारिज वाद सं0–3582(VII)/2013-2014 में दिनांक 21.12.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध, जनार्दन सिंह, पिता स्व0 मनबोध सिंह, सा0–नूनियाडीह, पो0+थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो के द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपील वाद दायर किया गया, साथ ही समय को छांत करने हेतु U/S 5 of Limitation Act के तहत आवेदन भी दाखिल किया गया। न्यायालय के द्वारा अपील वाद को नामांकित करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत की गयी, न्यायालय के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी, तत्पश्चात उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना।	

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
सतनपुर	02	298	4.67 एकड़ में से 2.50 एकड़

प्रथम पक्ष (अपीलार्थी) ने अपने दाखिल–खारिज अपील आवेदन में कहा है कि मौजा सतनपुर खाता सं0 298, रकवा 4.67 एकड़ भूमि खेवट नं0 2 के खेवटदार रंजीत सिंह वगैरह के नाम से आबाद मालिक के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज था। सर्वे के पूर्व रंजीत सिंह, बेनीमाधव सिंह एवं बनवारी सिंह के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण रंजीत वगैरह के नाम से खेवट नं0 2 का प्रकाशन गत सर्वे में हुआ। रंजीत सिंह अपने दो पुत्रों परमनाथ सिंह एवं शम्भुनाथ सिंह को छोड़कर मरे। परमनाथ सिंह के पुत्र जनार्दन सिंह हुए, जो अपीलार्थी है, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बी0एल0आर0 एक्ट के धारा 4, 5, 6, 7 के तहत रंजीत सिंह एवं अन्य के नाम से थोका खुला तथा तब से अपीलार्थी राजस्व का भुगतान करते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के विक्रेता के द्वारा बिना वंशावली को दर्शाये जाली दस्तावेज बना दिया गया एवं उक्त दस्तावेज के आधार पर अंचल अधिकारी चास को गुमराह कर नामान्तरण वाद सं0 3582(VII)/2013-14 के दाखिल–खारिज करवा लिया गया। जिसकी जानकारी दिनांक 20.10.2021 को होने के पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील वाद दाखिल किया गया साथ ही साथ ही समय को छांत करने हेतु U/S 5 of Limitation Act के तहत आवेदन भी दाखिल किया गया। इन्होनें यह भी कहा है कि विक्रेता मधुसुदन सिंह वो फेकन सिंह खतियानी रैयत् में वंशज नहीं हैं एवं क्रेता–बिक्रेता का भूमि पर दखल भी नहीं है। अंत में अपीलार्थी के द्वारा नामातरण अपील को स्वीकृत करते हुए दा0खा0 वाद सं0–3582(VII)/2013-2014 में दिनांक 21.12.2013 के पारित आदेश को रद्द/निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति एवं वाद की Maintainablity का आवेदन दाखिल किया। उक्त आपत्ति आवेदन में उल्लेख किया गया कि अपील 9 वर्षों के बाद दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा मधुसुदन सिंह एवं फेकन सिंह को 2013 में 13,40,000/– रू0 देकर मौजा सतनपुर खाता सं0 2, प्लॉट सं0 298, रकवा 2.50 एकड़ भूमि खरीदा। इन्होने यह भी कहा है कि चन्द्रमोहन सिंह एवं देवकीनाथ सिंह के नाम से M Form निर्गत किया गया है तथा बी0एल0आर0 एक्ट 1950 के धारा 5, 6, 7 के तहत एम फोर्म जिसमें उपसमाहर्ता का 1957 का हस्ताक्षर किया गया है। इनके द्वारा 18.08.2022 को Maintainablility का आवेदन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश कार्यवाई टिप्पणी

दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि खेवट नं0 2, मौजा–सतनपुर की सम्पूर्ण भूमि को केवाला सं0 340 दिनांक 17.03.1924 के द्वारा कुछ लोगों को बिक्री कर दिया गया है। इन्होनें आपत्ति आवेदन के कंडिका 7 में अनुसूचि में वर्णित भूमि द्वितीय पक्ष के विक्रेता को एम फॉर्म के द्वारा प्राप्त होने का उल्लेख किया है। अंत में इनके द्वारा अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 169 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन जॉच प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा सतनपुर, खाता सं0 2, प्लॉट सं0 298, रकवा 4.67 एकड़ मध्ये 2.50 एकड़ भूमि सर्वे में रैयती आबाद मालिक भूमि अधिकारी रंजीत सिंह खेवट–2 के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि की दाखिल–खारीज वाद सं0 3582(VII)/2013-2014 में विक्रेता मधुसुदन सिंह वो फेकन सिंह हैं। विकेता खतियानी रैयत में वंशज नहीं हैं और ना ही कोई रिस्ता नाता है–एवं क्रेता–बिक्रेता का भूमि पर दखल कब्जा भी नहीं है। विकेता के द्वारा तथ्य को छिपाकर रजिस्ट्री एवं दाखिल–खारीज करवाया गया हैं तथा उक्त दाखिल–खारीज को निरस्त करने का अनुशंसा करते हुए मूल जमाबंदी रैयत का जमाबन्दी बहाल रखने का अनुशंसा किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, दाखिल कागजातों, अंचल अधिकारी, चास के द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष को खतियानी रैयत से भूमि किस आधार पर प्राप्त है एवं इनके विकेता मधुसुदन सिंह वो फेकन सिंह, खेवटदार रंजीत सिंह वगैरह के उत्तराधिकारी हैं इससे संबंधित कोई ठोस दस्तावेज न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल आपत्ति पत्र के कंडिका 7 में उक्त भूमि M Form से प्राप्त होने का उल्लेख किया है जबकि बिक्री केवाला सं0 3508 दिनांक 14.06.2013 के तपशील में पैतृक रेकर्ड मुक्त कायमी रैयती स्वत्व का निजांश होने का उल्लेख किया है, जो स्वतः विरोधाभाषी है। अंचल अधिकारी, चास से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि द्वितीय पक्ष के पक्षकार ज्ञान प्रकाश सिंह एवं संगीता सिंह के विक्रेता मधुसुदन सिंह एवं अन्य खतियान धारी के वंशज नहीं हैं तथा द्वितीय पक्ष का भूमि पर किसी प्रकार से दखल कब्जा नहीं है विकेता के द्वारा तथ्य को छिपाकर रजिस्ट्री एवं दाखिल–खारीज करवाया गया है साथ ही अंचल अधिकारी, चास के द्वारा दाखिल–खारिज को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अंचल अधिकारी, चास के दाखिल–खारिज वाद सं0 3582(VII)/2013-2014 में दिनांक 21.12.2013 के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील को Allowed किया जाता है एवं मुल जमाबंदी रैयत का जमाबन्दी बहाल रखने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, चास को भेजें।

15/09/22

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

लेखापित / संशोधित,

15/09/22

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.15 14:33:58 +05:30
Location: 192.168.1.42